न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री विष्णु गोयल–I (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 100/2008

1 गुमान सिंह पुत्र स्व0 श्री हरनाथ सिंह **(मृतक दौराने वाद)**

1/1 रेवत सिंह 1/2 भरत सिंह 1/3 लक्ष्मण सिंह	पुत्रान स्व0 श्री गुमान सिंह	समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बडी का खेडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2 गुलाब सिंह 3 तेज सिंह 4 अमर सिंह 5 करण सिंह	पुत्रान स्व0 श्री हेमसिंह	

6 श्रीमती सुगन कंवर बेवा स्व0 श्री हेम सिंह **(मृतक दौराने वाद नाम हजफ)**

----वादीगण

बनाम

1 बंशी पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल, (मृतक)		जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुजराती ब्राह्मणो की ढाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर
1/1 रामकिशोर 1/2 कमलकिशोर	पुत्रान स्व0 श्री बंशी	

1/3 श्रीमती मुन्ना देवी धर्मपत्नी श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, दिगम्बर जैन मन्दिर रेल्वे स्टेशन के पास तहसील व जिला जयपुर।

1/4 श्रीमती भगवती देवी धर्मपत्नी श्री भानू प्रताप शर्मा, निवासी ग्राम प्रतापपुरा, पोस्ट मण्डा भीम सिंह वाया जोबनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/5 श्रीमती सन्तोष देवी धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी ग्राम सेगवा वाया सेती जिला चित्तौडगढ।

2 अशोक 3 राजू 4 गोपाल कृष्ण 5 दिनेश	पुत्रान स्व0 श्री बालकिशन	समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी दिगम्बर जैन नसियां, बगरूवालो की स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के पास जयपुर
6 मु0 सरजू देवी बेवा स्व0 श्री बालकिशन		

7 रवि कुमार 8 रमेश कुमार	पुत्रान स्व0 श्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी दिगम्बर जैन नसिया बगरूवालो की स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस जयपुर।

9– श्रीमती कंचन देवी बेवा स्व0 श्री मदनलाल **(मृतक दौराने वाद नाम हजफ)**

10– श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री स्व0 श्री मदनलाल धर्मपत्नी श्री ओमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी दिगम्बर जैन नसिया बगरूवालो की स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के पास जयपुर।

11– राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

------प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्णय दिंनाक 9–9–2019

वादीगण की ओर से उक्त वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बड़ी का खेडा, तहसील सांगानेर में भूमि खसरा संख्या 92 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, 102 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 113 रकबा 4 बीघा, 114 रकबा 2 बिस्वा, 119 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 133 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं 250 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, तथा खसरा संख्या 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, 247 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 296 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, 297 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 298 रकबा 2 बिस्वा भूमि गैर मुमकीन चाह तथा 299 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 23 बीघा भूमि वादी संख्या 2 से 5 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 श्री हेम सिंह पुत्र हरनाथ सिंह राजपूत की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, प्रतिवादी संख्या 1 श्री बंशीलाल ने एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के हकपूर्वाधिकारी स्वर्गीय श्री मदनलाल ने वादी संख्या 1 एवं स्व0 श्री हेमसिंह जी से उपरोक्त वर्णित भूमियों में से खसरा संख्या 247 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या 133 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा खसरा संख्या 250 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा सम्पूर्ण को क्रय करना चाहा, वादी संख्या 1 एवं स्व0 श्री हेमसिंह जी को निजी खर्चो के लिये रूपयो की आवश्यकता थी इसलिए उन्होने उक्त भूमि प्रतिवादी सख्या 1 स्व0 श्री बंशीलाल जी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 श्री मदनलाल जी को दो अलग–अलग विक्रय पत्र दिनांक 9–4–1974 के द्वारा विक्रय कर दी किन्तु सहवन से उक्त विक्रय पत्रो में खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 133 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का 1/4 हिस्सा के स्थान पर खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा अंकित हो गया ओर उप–पंजियक ने उक्त विक्रय पत्रो को पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 42 क्रम संख्या 268 पृष्ठ संख्या 99 से 100 पर दिनांक 28–5–1974 को पंजीकृत कर दिया एवं द्वितिय विक्रय पत्र को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 42 क्रम संख्या 267 पृष्ठ संख्या 97 से 98 पर दिनांक 28–5–1974 को पंजीकृत कर दिया जिनके आधार पर नामान्तरकरण सख्या 81 क्रेता/प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 श्री मदनलाल

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

के नाम दिनांक 24–7–74 को तस्दीक कर दिया गया। तब स्व0 श्री हेमसिंह जी को यह जानकारी हुई की विक्रय पत्र में सहवन से खसरा नम्बर 247 के स्थान पर खसरा नम्बर 135 अंकित कर दिया गया है जिस पर हेमसिंह जी ने प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 श्री मदनलाल की सहमति से एक शुद्धिपत्र दिनांक 11–2–1975 को तहरीर कर उपरोक्त वर्णित विक्रय पत्र में यह दुरूस्ती करवा दी कि विक्रय की गयी भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा ना होकर खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा ही है और खसरा नम्बर 135 का कोई विक्रय नही किया गया उक्त शुद्धि पत्र को उप–पंजीयक सांगानेर ने पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 46 क्रम संख्या 94 पृष्ठ संख्या 109 से 110 पर दिनांक 12–3–1975 को पंजीकृत कर दिया जिसके आधार पर दिनांक 9–1–1976 को नामान्तरकरण संख्या 92 द्वारा खसरा नम्बर 135 को पुनः स्व0 श्री हेमसिंह के नाम एवं विक्रय किये गये खसरा नम्बर 247 को क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी मदनलाल के नाम अंकित कर दिया तथा वादी संख्या एक गुमानसिंह द्वारा दिनांक 28–5–1974 तहरीर किये गये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सख्या 79 प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 श्री मदनलाल के नाम दिनांक 22–10–1974 को तस्दीक कर दिया और जब खसरा नम्बर 133 के स्थान पर खसरा नम्बर 142 का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तस्दीक कर दिया गया तब वादी संख्या 1 को यह जानकारी हुई की विक्रय पत्र में सहवन से खसरा नम्बर 133 हिस्सा 1/4 के स्थान पर खसरा नम्बर 142 का 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया गया है जिस पर वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी मदनलाल की सहमती से एक शुद्धिपत्र दिनांक 11–2–1975 को तहरीर कर उपरोक्त वर्णित विक्रय पत्र में यह दुरूस्ती करवा दी कि विक्रय की गयी भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा ना होकर खसरा नम्बर 133 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का 1/4 हिस्सा अर्थात् 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही है और खसरा नम्बर 142 का कोई विक्रय नही किया गया उक्त शुद्धिपत्र को उप–पंजियक सांगानेर ने पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 46 क्रम संख्या 93 पृष्ठ संख्या 107 से 108 पर दिनांक 12–3–1975 को पंजीकृत कर दिया जिसके आधार पर दिनांक 9–1–1976 को नामान्तरकरण संख्या 93 द्वारा खसरा नम्बर 142 को पुनः वादी एक के नाम तथा विक्रय किये गये खसरा नम्बर 133 हिस्सा 1/4 को क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 श्री मदनलाल के नाम अंकित कर दिया गया उक्त शुद्धिपत्र

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

दिनांक 11–2–1975 एवं 9–1–1976 के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 92 एवं 93 का इन्द्राज समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में किया जाकर दुरूस्ती किया जाना आवश्यक था किन्तु दुरूस्ती नही की गयी और खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पूर्ववत प्रतिवादी सख्या 1 बंशीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के हकपूर्वाधिकारी मदनलाल के नाम अंकित चली आ रही है। तहसील सांगानेर में सम्पन्न हुए नवीन भू–प्रबंध के पश्चात साबिका खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं साबिका खसरा नम्बर खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर कायम किये गये है जो उक्त वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति है इसलिए घोषणा इस अमल की फरमायी जावे कि नामान्तरकरण संख्या 92 एवं 93 का इन्द्राज समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में किया जाकर साबिका खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टेयर की खातेदारी वादी संख्या 1/1 से 1/3 के नाम एवं साबिका खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर की खातेदारी वादी सख्या 2 लगायत 5 के नाम अंकित किये जाने की डिक्रि फरमायी जाकर खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टेयर का वादी सख्या 1/1 से 1/3 को एवं खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि का वादी सख्या 2 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय नें प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु समय–समय पर नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वकालतन उपस्थित होकर दिनांक 15–10–2003 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित अनुतोष के पैरा संख्या 17 के उप–पैरा संख्या (क) में अंकित अनुतोष को वादीगण को प्रदान किये जाने की सहमती प्रदान की और दौराने दावा प्रतिवादी संख्या एक का स्वर्गवास हो गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक उत्तराधिकारीयों को रेकार्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 को सुनवाई हेतु समय–समय पर नोटिस जारी किये गये किन्तु प्रतिवादीगण तामील होने के उपरांत एंव न्यायालय के समक्ष असालतन एंव वकालतन उपस्थित होने के पश्चात अनुपस्थित हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 11 पैरोकार सरकार को छोड़कर शेष समस्त प्रतिवादी न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण पूर्व में अलग–अलग दिनांक 02.06.2016 व 19.07.2016

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

को उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई तथा दिनांक 3–9–2019 को भी प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने की वजह से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया चूंकि प्रतिवादी संख्या एक के अलावा शेष समस्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई वादोत्तर अथवा लिखित आपत्ति या आक्षेप वाद के विचारण के दौरान कभी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम की गई और वादी की साक्ष्य अभिलिखित की गयी। वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं कथनों को सिद्ध करने हेतु लिखित शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 प्रस्तुत किये हैं जिनको किसी भी प्रतिवादी द्वारा परीक्षण या प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया, ना ही खण्डन हेतु कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 13 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें प्रदर्श 1 खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2030 खातेदार गुमान सिंह एवं प्रदर्श 2 खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2030 खातेदार हेमसिंह, प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत् 2056–2059, प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत् 2038–2041 तथा प्रदर्श 5 व प्रर्दश 5–ए भू प्रबंधन के दौरान पुराने नम्बरो से बनाये गये नवीन नम्बरो का मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 6 व 7 विक्रय पत्र दिनांक 9–4–74 एवं प्रदर्श 8 व 9 नामान्तरकरण सख्या 79 व 81, प्रदर्श 10 व 11 शुद्धि पत्र दिनांक 12–3–1975, प्रदर्श 12 व 13 नामान्तरकरण सख्या 92 व 93 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं प्रस्तुत की हैं। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अथवा लिखित मौखिक साक्ष्य के रूप में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। दिनांक 4–9–2019 को पत्रावली पर वादीगण की एकपक्षीय अंतिम बहस गुणावगुण पर सुनी गई।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक बहस, पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचन, दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयान आदि का अभिलिखित तनकीयात के प्रकाश में अवलोकन एवं अध्ययन कर उन पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन कर अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचन साक्ष्य एवं बयानो आदि के परिशीलन के पश्चात् हस्तगत विवाद का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से हैः–

तनकी 1– आया भूमि वादग्रस्त गाव बड़ी का बास खेड़ा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 92, 102, 113, 114, 119, 133, 142, 250 कुल किता 8 कुल रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा वादी संख्या 1 की एवं खसरा नम्बर 135, 247, 296, 297, 298, 299 कुल किता 6 कुल रकबा 23 बीघा वादी संख्या 2 लगायत 6 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है ?

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 92, 102, 113, 114, 119, 133, 142, 250 कुल किता 8 कुल रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा वादी संख्या 1 की एवं खसरा नम्बर 135, 247, 296, 297, 298, 299 कुल किता 6 कुल रकबा 23 बीघा वादी संख्या 2 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि है को सिद्ध करने के लिए प्रर्दश 1 व प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत् 2030 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके कॉलम संख्या 5 में वादी संख्या 1 गुमानसिंह का व वादी संख्या 2 लगायत 6 के हकपूर्वाधिकारी हेमसिंह का नाम बहैसियत खातेदार–काश्तकार अंकित है जिससे उपरोक्त वर्णित भूमि वादी संख्या 1 गुमानसिंह एवं वादी संख्या 2 लगायत 6 के हकपूर्वाधिकारी हेमसिंह की खातेदारी की भूमि होना स्पष्ट सिद्ध हो रहा है जिसे स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा के पैरा सख्ंया 1 में भी स्वीकार किया गया है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, लिखित, मोखिक साक्ष्य के प्रकाश में उपरोक्त वर्णित निश्कर्ष के अनुसार तनकी संख्या एक को सिद्ध करने में वादीगण सफल रहे है। परिणामतः तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी 2– आया विक्रय पत्र में सहवन से खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर खसरा नम्बर 135 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कर दिया एवं खसरा नम्बर 133 हिस्सा 1/4 के स्थान पर खसरा नम्बर 142 अंकित कर दिया जिसकी शुद्धि/दुरूस्ती करवा दी गई ?

उपरोक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिए प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 विक्रय पत्र दिनांक 9–7–1974 एवं प्रदर्श 10 व 11 शुद्धि पत्र दिनांक 12–3–1975 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श 6 में बेचान की गयी भूमि का खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा अंकित है जबकि प्रदर्श 10 शुद्धि पत्र दिनांक 12–3–1975 में स्वयं वादीगण/विक्रेतागण तथा प्रतिवादीगण/क्रेतागण ने यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा गलत दर्ज हो गया है इसके स्थान पर सही खसरा नम्बर 133 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा बारानी दोयम में से हिस्सा 1/4 अर्थात् 1 बीघा 10 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था जिसे शुद्ध किया जावें। इसी प्रकार उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श 7 में बेचान की गयी भूमि का खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा बिस्वा अंकित है जबकि प्रदर्श 11 शुद्धि पत्र दिनांक 12–3–1975 में स्वयं वादीगण/विक्रेतागण तथा प्रतिवादीगण/क्रेतागण ने यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा गलत दर्ज हो गया है इसके स्थान पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

सही खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था जिसे शुद्ध किया जावें उक्त शुद्धि पत्रो के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रदर्श 12 व प्रदर्श 13 नामान्तरकरण संख्या 92 व 93 स्वीकृत किये जा चुके है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, लिखित, मोखिक साक्ष्य के प्रकाश में उपरोक्त वर्णित निश्कर्ष के अनुसार तनकी संख्या दो को सिद्ध करने में वादीगण सफल रहे है। परिणामतः तनकी संख्या दो वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी 3– खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर वादी संख्या 1 खातेदार काबिज काश्तकार है ?

तनकी 4– खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर पर वादी संख्या 2 लगायत 6 खातेदार काबिज काश्तकार है ?

उपरोक्त तनकी संख्या 3 व 4 परस्पर एक–दूसरे से जुडी हुई हैं जिनको सिद्ध करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादीगण पर है किन्तु प्रतिवादीगण के न्यायालय से निरन्तर व जानबूझकर अनुपस्थित होने तथा किसी भी प्रकार की दस्तावेजी या मोखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तथा अभिलेख पर उक्त तनकीयों को अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिए कोई आधार व कारण तथा साक्ष्य उपलब्ध ना होने की वजह से उक्त दोनो तनकीयों को संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है तथा वादीगण ने उक्त दोनो तनकीयो को अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिए कुल 13 किता दस्तावेज एवं दो स्वतन्त्र गवाह पेश किये है जिन्होनें उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादीगण को काबिज काश्त होना स्वीकार किया है तथा स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दावा में भी यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, लिखित, मोखिक साक्ष्य के प्रकाश में उपरोक्त वर्णित निश्कर्ष के अनुसार तनकी संख्या 3 व 4 को सिद्ध करने में वादीगण सफल रहे है। परिणामतः तनकी संख्या 3 व 4 को वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी 5 – आया वादीगण दिनांक 11–2–1975 को तस्दीक किये गये शुद्धी पत्र की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तरणकरण संख्या 92 एवं 93 के आधार पर नवीन खसरा नम्बर 228 व 399 को राजस्व भू–अभिलेखों में दुरूस्ती करवा अपने नाम खातेदारी में अंकित करवाने के अधिकारी है ?

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है चूंकि तनकी संख्या 6 घोषणा से संबंधित है इसलिए तनकी संख्या 6 को तनकी संख्या 5 से पहले तय किया जाना न्यायोचित है। वादीगण ने उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिए प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 विक्रय पत्र दिनांक 9–7–1974 एवं प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 शुद्धि पत्र दिनांक 12–3–1975 एवं प्रदर्श 12 व प्रदर्श 13 नामान्तरकरण संख्या 92 व 93 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है विक्रय पत्र प्रदर्श 6 में बेचान की गयी भूमि का खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा अंकित है जबकि उक्त विक्रय पत्र के शुद्धि पत्र प्रदर्श 10 दिनांक 12–3–1975 में स्वयं वादीगण/विक्रेतागण तथा प्रतिवादीगण/क्रेतागण ने यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा गलत दर्ज हो गया है इसके स्थान पर सही खसरा नम्बर 133 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा बारानी दोयम में से हिस्सा 1/4 अर्थात् 1 बीघा 10 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था जिसे शुद्ध किया जावें। इसी प्रकार विक्रय पत्र प्रदर्श 7 में बेचान की गयी भूमि का खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा बिस्वा अंकित है जबकि उक्त विक्रय पत्र के शुद्धि पत्र प्रदर्श 11 दिनांक 12–3–1975 में स्वयं वादीगण/विक्रेतागण तथा प्रतिवादीगण/क्रेतागण ने यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा गलत दर्ज हो गया है इसके स्थान पर सही खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा दर्ज होना चाहिए था जिसे शुद्ध किया जावें उक्त शुद्धि पत्रो के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रदर्श 12 व प्रदर्श 13 नामान्तरकरण संख्या 92 व 93 दिनांक 9–1–1976 को स्वीकृत किये जाकर भूमि वादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा को पुनः वादी संख्या एक के नाम एवं साबिका खसरा नम्बर खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 को पुनः वादी संख्या 2 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी हेमसिंह के नाम अंकित कर दिया उक्त नामान्तरकरण संख्या 92 एवं 93 का इन्द्राज समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में अंकित किये जाने का दायित्व तहसीलदार का था जो उसके द्वारा नही किया गया इसलिए भूमि वादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टैयर वादी संख्या एक के नाम एवं साबिका खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर वादी संख्या 2 लगायत 6 के नाम खातेदारी में अंकित होनी चाहिए इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, लिखित, मौखिक साक्ष्य के प्रकाश में उपरोक्त वर्णित निष्कर्ष के अनुसार तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने में वादीगण सफल रहे है परिणामतः तनकी संख्या 5को वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाकर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने नवीन

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टैयर का वादी संख्या 1/1 से 1/3 को एवं साबिका खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर वादी संख्या 2 लगायत 5 को खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है।

तनकी 6– प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। खसरा नम्बर 399 पर हस्तक्षेप न करने व हस्तान्तरित न करने हेतु ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है उक्त तनकी पारिणामिक तनकी है जो तनकी संख्या 1 लगायत 5 के निर्णय पर निर्भर करती है यद्यपि तनकी संख्या 1 लगायत 5 का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जा चुका है इसलिए उक्त तनकी संख्या 6 को सिद्ध करने में वादीगण सफल रहे है अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि नवीन खसरा नम्बर 228 व 399 के कब्जे/काश्त में हस्तक्षेप ना करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बडी का खेडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टेयर का वादी संख्या 1/1 से 1/3 को तथा साबिका खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर का वादी सख्या 2 लगायत 5 को खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर, उप–तहसीलदार बगरू, प्रतिवादी संख्या 11 को आदेश दिया जाता है कि वे नामान्तरकरण संख्या 92 एवं 93 दिनांक 9–1–1976 का अमल वर्तमान जमाबंदी में करते हुए भूमि साबिका खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 228 रकबा 0.43 हैक्टेयर का वादी संख्या 1/1 से 1/3 का नाम एवं साबिका खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 1.41 हैक्टेयर का वादी सख्या 2 लगायत 5 का नाम समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में नाम अंकित करें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवावें तदनुसार पर्चा डिक्रि मुर्तिब होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9–9–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.11.21 14:46:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: